केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय (REGIONAL OFFICE)
92, GANDHI NAGAR MARG, BAJAJ NAGAR,
जयपुर / JAIPUR – 302015 (RAJASTHAN)
Website: www.rojaipur.kvs.gov.in
E-Mail :kvsjpr@gmail.com / fokvsjpr@gmail.com
0141 – 2704572 (DC),),0141– 2706548 (AO/FO), 0141 – 2707149 (AC), FAX No. 0141 – 2706882

F 230333/2020-21/KVS(JPR)/Admn

Date: 15.03.2021

श्रीमान प्राचार्यगण ,

केन्द्रीय विद्यालय,

चित्तोडगढ़/धोलपुर/हनुमानगढ़/7 जयपुर/जालोर/झुंझुनु/1 आर्मी जोधपुर/
माउंट आबु/नागौर/फुलेरा/पाली/तिवरी/बांदीकुई/पोकरण/करौली/प्रतापगढ़
बनाड जोधपुर/डुंगरपुर/सवाई माधोपुर/सुरतगढ़ केंट/ टोंक।

विषय- सत्र 2021-22 के लिए स्टाफ स्ट्रेन्थ निर्धारित करने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय में इस पत्र के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या एफ़ 110333/2021-22/केवीस(मु)/शैक्षिक/जयपुर /7470 दिनांक 12.03.2021 की एक प्रति संलग्न कर अग्रेषित की जा रही है, जिसके द्वारा आपके विद्यालय में सत्र 2021-22 से कक्षाओं को बढ़ाने एवं घटाने संबंधी स्वीकृति संगठन, मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई है।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है की आप अपने विद्यालय में सत्र 2021-22 के लिए स्टाफ स्ट्रेन्थ निर्धारित करने हेतु संबन्धित शिक्षकों/कार्मिकों की वृद्धि/कटौती के विषय में नियमानुसार गणना करके प्रस्ताव प्रपत्र "ब" में पूर्ण रूप से तैयार करके इस कार्यालय को अति शीघ्र ई-मेल के द्वारा स्केण्ड कॉपी/डाक से दिनांक 18.03.2021 तक भेजना सुनिश्चित करें ताकि तदानुसार संगठन मुख्यालय को शिक्षकों/कार्मिकों की वृद्धि/कटौती के विषय में प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक कार्रवाई हेतु समय पर प्रेषित किया जा सके।

यदि आपके विद्यालय में शिक्षकों /कार्मिकों की संख्या में वृद्धि/कटौती आवश्यक नहीं है तो भी शून्य रिपोर्ट आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित करे। प्राचार्य इस कार्यालय को शिक्षकों/कार्मिकों की वृद्धि/कटौती हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तांव के वी एस के निर्धारित नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार भली भांति जांच लिया गया है। प्रस्ताव में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए प्राचार्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

Digitally signed by student
Date: 2021.03.26 11:36:53 +05:30
Reason: reason
Location: location

भवदीय

15/3/21

(बी एल मोरोड़िया)
उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
शहीद जीत सिंह मार्ग / Shaheed Jeet Sing Marg
18, संस्थागत क्षेत्र /18, Institutional Area
नई दिल्ली / New Delhi-110016
Tel: 26858566, Fax No. 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

क.110333/2021-22/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/जयपुर | 7470

दिनांक: 12.03.2021

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
जयपुर संभाग (Jaipur Region)

विषय: सत्र 2021-22 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या फा.सं. 230333/2020-के.वि.सं.(जयपुर)/प्रशा. दिनांक 10.12.2020 तथा 19.01.2021 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2021-22 से प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2021-22 के लिए कक्षाएं/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	No.5 Jaipur (2nd shift)	No change.
2	Chittorgarh	Sanctioned 2nd section in each class-III, IV & V.
3	Dholpur	Sanctioned one section in class-IX.
4	Hanumangarh Jn.	Sanctioned 2nd section in each class-I, II, III, IV, V and one section in class-XI(Sc.).
5	No.7, CISF, Jaipur	Sanctioned one section in class-IX.
6	Jalore	Sanctioned one section in each XI(Sc.) & XI(Hum.). No other change.
7	Jhunjhunu	Decreased one section in class-VII and sanctioned 3rd section in class-X.
8	No.1, Army, Jodhpur	Decreased one section in class-XII(Sc.).
9	Mount Abu	Sanctioned 2nd section in each class-I, II, III, IV, V and decreased one section in class-VI.
10	Nagaur	Sanctioned one section in class-IX.
11	Phulera	Decreased one section in class-V.
12	Pali	Sanctioned one section in class-VIII.
13	Tivri	Sanctioned one section in class-VIII.
14	Bandikui	Sanctioned one section in class-VII.
15	BSF Pokaran	Closed class-XII(Sc.). No other change.
16	Karauli	Sanctioned one section in class-XI(Hum.).
17	Banar Jodhpur	Sanctioned 2nd section in class-I and one section in class-XII(Hum.). Decreased one section in class-VIII.
18	Dungarpur	Sanctioned 2nd section in each class-I, II, III, IV & V.
19	Sawai Madhopur	Sanctioned one section in class-XI(Hum.) and closed Class-XI(Com.).
20	Suratgarh Cantt.	Sanctioned 2nd section in class-IX.

21	Pratapgarh	Sanctioned one section in class-VI.
22	CTPP Chhabra	No change.
23	Tonk	Sanctioned one section in class-XI(Sc.).

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के **सेक्शनों** में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त स्टाफ स्वीकृति हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होनें के पश्चात ही निम्नलिखित दस्तावेज़ (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु अविलंब प्रेषित करें।

"It should further be certified that the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation."

1. समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
2. आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
3. इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ दस्तावेज़ जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहें हैं वे पूर्णतः सही हैं।

भवदीय

रनवीर सिंह 12/03/

(रनवीर सिंह)

उपायुक्त (शैक्षिक)

संलग्नक : यथोपरि।